भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2583

07 अगस्त, 2024 के लिए प्रश्न

राशन की दुकानें

2583. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में गरीबों के लिए खाद्यान्नों के वितरण करने वाली राशन की दुकानों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देशभर में इन दुकानों को चलाने वाले कर्मचारियों अथवा दुकान प्रबंधकों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) उन सत्यापन विधियों का ब्यौरा क्या है जिनका उपयोग खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ख): देश में, 5.43 लाख (लगभग) उचित दर दुकानें (एफपीएसएस) खाद्यान्नों के वितरण में शामिल हैं। उचित दर दुकानों की संख्या को दर्शाता संघ राज्य क्षेत्र-वार का विवरण **अनुबंध** में है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य सरकारों की संयुक्त जवाबदेही के अतर्गत प्रचालित की जाती है। उचित दर दुकानों (एफपीएस) के प्रचालन और प्रबंधन की जवाबदेही संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों के पास है।

(ग): लाभार्थियों का सत्यापन फिंगरप्रिंट एवं आईरिस स्कैनर, ओटीपी, अन्य सत्यापन पद्धतियों के माध्यम से बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण से किया जा रहा है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.08.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2583 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उचित दर दुकानों (एफपीएस) की कुल संख्या दर्शाता विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल उचित दर दुकानें
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	416
2	आंध्र प्रदेश	29,791
3	अरुणाचल प्रदेश	1,680
4	असम	34,300
5	बिहार	50,951
6	चंडीगढ़	लागू नहीं
7	छतीसगढ़	13,675
8	दादरा नगर हवेली और दमन व दीव	114
9	दिल्ली	1,993
10	गोवा	452
11	गुजरात	16,949
12	हरियाणा	9,434
13	हिमाचल प्रदेश	5,219
14	जम्मू एवं कश्मीर	6,737
15	झारखंड	25,228
16	कर्नाटक	20,403
17	केरल	13,913
18	लद्दाख	404
19	लक्षद्वीप	39
20	मध्य प्रदेश	27,377
21	महाराष्ट्र	52,642
22	मणिपुर	2,339
23	मेघालय	4,735
24	मिजोरम	1,258
25	नगालैंड	1,783
26	ओडिशा	12,044
27	पुदुचेरी	लागू नहीं
28	पंजाब	18,150
29	राजस्थान	27,062
30	सिक्किम	1,312
31	तमिलनाडु	34,805
32	तेलंगाना	17,246
33	त्रिपुरा	2,057
34	उत्तराखंड	9,059
35	उत्तर प्रदेश	79,216
36	पश्चिम बंगाल	20,476
राष्ट्रीय सारांश		**5,43,259**

*****